भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2168

20 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: गेहूं के उत्पादन में कमी

2168. श्री रवनीत सिंह:

श्री सु. थिरुनवुक्करासर:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों में विषम जलवायु पद्धति, लू चलने और अत्यधिक वर्षा के कारण देश का गेहूं उत्पादन लगभग 3 प्रतिशत घटकर 106.8 मिलियन टन (एमटी) रह जाने का अनुमान है और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में गेहूं के उत्पादन में गिरावट के कारणों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न कृषि विशेषज्ञों ने मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों के बौने होने के लिए हाल ही में रहस्यमयी बीमारी को उत्तरदायी ठहराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में गेहूं के उत्पादन में बाधा उत्पन्न करने वाले जलवायु परिवर्तन और फसल रोगों सहित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ङ) गेहूं और आटे के निर्यात के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों, प्रतिबंधों, यदि कोई हो तो, के आधार पर निर्यात के लिए कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन उपलब्ध है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा गेहूं के उत्पादन के लिए सतत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं से अलग कृषि उत्पादन में विविधता लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): कृषि वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) हेतु चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार गेहूं का उत्पादन 106.84 मिलियन टन होना अनुमानित है, जिसमें 2020-21 के दौरान अनुमानित 109.59 मिलियन टन की तुलना में 2.75 मिलियन टन (2.5%) की कमी इंगित की गई है। गेहूं के उत्पादन में यह कमी मार्च, 2022 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में लू के प्रभाव के कारण

हुई है। तथापि 2021-22 के दौरान गेहूं का उत्पादन 103.88 मिलियन टन औसत गेहूं उत्पादन (2016-17 से 2020-21 तक) की तुलना में 2.96 मिलियन टन (2.85%) अधिक है।

(ग): पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के धान उगाने वाले क्षेत्रों के विभिन्न भागों से सदर्न राइस ब्लैक-स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस (एसआरबीएसडीवी), वायरल रोग के कारण धान की फसल की वृद्धि में रूकावट रिपोर्ट की गई है।

(घ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने गेहूं सहित विभिन्न फसलों के भिन्न-भिन्न किस्मों के बीजों, जो जलवायु तनाव के प्रति सहिष्णु हो, को विकसित किया है और देश में रोग की स्थिति पर कड़ी निगरानी भी रख रहा है। हाल ही में जारी जलवायु सहिष्णु वृहद किस्में जैसे कि डीबीडब्ल्यू 187, डीबीडब्ल्यू 222, डीबीडब्ल्यू 303, एचडी 3226, एचडी 3086, जीडब्ल्यू 366 इत्यादि जलवायु के विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने मे मदद कर रही है। इन किस्मों में गर्मी सहन करने की क्षमता होती है और यह जैविक तथा अजैविक तनाव से होने वाली हानियों के विरूद्ध किसानों की सहायता करती है। आईसीएआर किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर इन किस्मों को अपनाने के लिए नियमित आधार पर प्रशिक्षण/कार्यशाला/फील्ड डे आयोजित करता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए भारत सरकार कई कदम उठा रही है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत एक मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है।

(ङ): विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानकों के आधार पर खुले बाजार से गेहूं के निर्यात की कोई सीमा नहीं है जबकि, सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग से निर्यात की अनुमति नहीं है। दिनांक 12.05.2022 तक गेहूं का निर्यात 'फ्री' था। तथापि, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और निकटवर्ती और अविकसित देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने दिनांक 13.05.2022 की अधिसूचना के माध्यम से गेहूं की निर्यात नीति को 'फ्री' से 'प्रतिबंधित' में संशोधित किया। तथापि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाती है।

(च) सतत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में गेहूं सहित विभिन्न फसलों में जलवायु अनुकूल बीजों की किस्में शामिल हैं, जो जलवायु दबाव के प्रति सहिष्णु है। सरकार देश में गेहूं के अलावा कृषि उत्पादन विविधता लाने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कदम उठा रही है। आरकेवीवाई योजना के तहत फसल विविधिकरण नामक घटक भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

*****